

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 133/2022

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
खेताराम पुत्र शंकराराम जाति दर्जी, निवासी आरंग तहसील व जिला बाड़मेर		<ol style="list-style-type: none"> 1. अमराराम पुत्र कलाराम 2. खेताराम पुत्र इन्द्रराम 3. गुड्डीदेवी पत्नी तेजाराम 4. रावलाराम पुत्र तेजाराम 5. जेटाराम पुत्र तेजाराम 6. देवीलाल पुत्र तेजाराम जाति दर्जी, निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. रूखमकंवर पुत्री मु0 हरकंवर के कायम मुकाम <ol style="list-style-type: none"> 7.1 हीरदान पुत्र रूखमकंवर 7.2 दमदान पुत्र रूखमकंवर 7.3 रूपसिंह पुत्र रूखमकंवर 7.4 भीमदान पुत्र रूखमकंवर 7.5 गायडदान पुत्र रूखमकंवर 8. दीपाकंवर पुत्री मु0 हरकंवर के कायम मुकाम <ol style="list-style-type: none"> 8.1 भैरुदान पुत्र दीपाकंवर 8.2 ईश्वरदान पुत्र दीपाकंवर के कायम मुकाम <ol style="list-style-type: none"> 8.2.1 अर्जुनदान पुत्र ईश्वरदान 8.2.2 मोहनदान पुत्र ईश्वरदान 8.2.3 सेवंतदान पुत्र ईश्वरदान जाति चारण, निवासी आरंग तहसील शिव, जिला बाड़मेर <p>(प्रतिवादी संख्या 6 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादीनी संख्या 3 गुड्डीदेवी) 9. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव</p>

- उपस्थित :- 1. अधिवक्ता वादी - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 6 - श्री देवीलाल कुमावत।

-:: निर्णय ::-

दिनांक : 01.03.2024

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल आरंग के ग्राम आरंग के खेत खसरा नम्बर 466/28 रकबा 0.5504 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	खेताराम पुत्र शंकराराम कौम दर्जी सा. देह खातेदार	आरंग	466/28	0.0890	बा.चा.	-	गुलाबी
2	गुड्डीदेवी पत्नी तेजाराम 1/4, जेटाराम 1/4, देवीलाल 1/4, रावलाराम 1/4 पि0 तेजाराम कौम दर्जी सा. देह खातेदार	आरंग	466/28	0.0890	बा.चा.	-	आसमानी
3	अमराराम पुत्र कलाराम 1/4, खेताराम पुत्र इन्द्रराम 1/4, कौम दर्जी सा. देह खातेदार	आरंग	466/28	0.3724	बा.चा.	-	साफेद

21
सहायक कलक्टर
(100) शिव

हीरदान पुत्र रूखमकंवर 1/20, दमदान पुत्र रूखमकंवर 1/20, रूपसिंह पुत्र रूखमकंवर 1/20, भीमदान पुत्र रूखमकंवर 1/20, गायड़दान पुत्र रूखमकंवर 1/20, भैरूदान पुत्र दीपाकंवर 1/8, अर्जुनदान पुत्र ईश्वरदान 1/24, मोहनदान पुत्र ईश्वरदान 1/24, रेवंतदान पुत्र ईश्वरदान 1/24 कौम चारण सा. देह खातेदार						
---	--	--	--	--	--	--

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

२५

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव



निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

२५

सहायक कलेक्टर
(SDO) शिव